न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
031/2022(रे.वि.) (GCMS 2022/68)	04.04.2022	18.05.2022

अनवान

श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी दिनेश ईनाणी आयु वयस्क निवासी 32 ए कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ हाल निवासी ईनाणी रेजीडेंसी चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. मथुरालाल पिता स्वर्गीय लोबा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलाहेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. उप–पंजीयक गंगरार।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
4. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–		
	हेमन्त गर्ग	प्रार्थी
	रतन जाट	अप्रार्थी संख्या 1
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा 24 सीपीसी प्रार्थना पत्र कराए जाने हस्तान्तरण प्रकरण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार में प्यारीबाई वगैरा ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेंसी एक्ट का बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 व अन्य खातेदारान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 64/2011 रेवेन्यू वाद है। जिसमें प्रार्थीया की ओर से प्रतिवादपत्र व बंटवाडा आराजीयात व खातेदारी घोषणा का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जिसमें प्रार्थीया का काउन्टर क्लेम खातेदारी घोषणा का डिकी किया गया व प्यारी बाई वगैरा का स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र खारिज किया गया। बंटवाडा बाबत काउन्टर क्लेम धारा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट की दाद को सुरक्षित रखते हुए विड्रो किया गया। उक्त निर्णय एवं डिग्री के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील प्रस्तुत की व वादपत्र प्रकरण संख्या 64/2011

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

रेवेन्यू वाद की वादीया श्रीमती प्यारीबाई वगैरा ने भी उक्त निर्णय एवं डिकी के विरूद्ध अपील श्री राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 122/2015 व 140/2015 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त दोनो अपीले दिनांक 08.12.2021 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार को प्रति प्रेषित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय एवं डिकी के विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जिसके प्रकरण संख्या 1008/2022 एवं 1006/2022 है। राजस्व मण्डल ने विपक्षी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अपील ग्रहण कर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलव किये जाने का आदेश दिनांक 10.03.2022 को पारित किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय के बाद विपक्षी संख्या 1 मथुरा लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी का पूर्व स्थिति रेकार्ड कायम कराने का प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किए जाने पर उपस्थिति हो चुकी है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिलेख तलब किया जा चुका है जिससे अब अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत होने रेकार्ड तलब होने की जानकारी होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 से पूर्णतः प्रभावित होकर अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में बिना किसी आधार व औचित्य के अग्रिम कार्यवाही करना चाहती हैं, जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय विपक्षी संख्या 1 के पूर्णतः प्रभाव में होकर विपक्षी संख्या 1 को अनावश्यक लाभ पहुॅचाना चाहता है जिससे अग्रिम कार्यवाही करने के लिए प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील विचाराधीन होते हुए भी जानबूझकर दुसरे तीसरे दिन की तारीख पेशीयां देकर प्रकरण को विपक्षी संख्या 1 के दबाव व प्रभाव में आकर कार्यवाही करना चाहते हैं जिससे विपक्षी संख्या 1 व अधीनस्थ सहायक कलेक्टर की दुरभी संधि स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थीया एक महिला होकर प्रार्थीया के पति किडनी संबंधी बीमारी से ग्रस्त हैं, व पति की किडनी ट्रांसप्लांट होने से बार–बार चित्तौड़गढ़ से गंगरार प्रकरण में पेशीयो पर जाने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुसरे तीसरे दिन की पेशीयां देने से प्रार्थीया जो कि महिला है को काफी कठिनाईया उत्पन्न हो रही हैं व अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विपक्षी संख्या 1 के प्रभाव में होने से प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन हो अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होने के बाद भी एक तरफा अग्रिम कार्यवाही करने को अग्रेषित है जिससे प्रार्थीया को प्रकरण में न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। ग्राम पुठोली की वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया की खरीदशुदा कृषि आराजीयात है, लेकिन सहायक कलेक्टर एवं विपक्षी संख्या 1 की मिलाभगती एवं प्रभाव में होने से प्रार्थीया अपनी खरीदशुदा आराजीयात से वंचित हो जायेगी एवं न्याय से भी वंचित हो जावेगी व प्रार्थीया को बार–बार गंगरार आने–जाने में भी परेशानी होने से प्रकरण की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर गंगरार के न्यायालय से चित्तौड़गढ़ न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है, जिससे कि प्रकरण में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के आधार पर उचित निष्पक्ष सुनवाई हो सके। अतः प्रार्थना है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार की पत्रावली संख्या 74/2021 रेवेन्यु प्रार्थना पत्र को चित्तौड़गढ़ न्यायालय में स्थानान्तरण कराने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं प्रकरण में अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त किये जाने हेतु लिखा गया। दिनांक 27.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 27.04.2022 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 18.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 2–3–4 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उखण्ड अधिकारी गंगरार से टिप्पणी/कमेंट्स अप्राप्त है। दिनांक 18.05.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से बहस पत्रावली हेतु नियत की जाकर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार में प्यारीबाई वगैरा ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेंसी एक्ट का बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 व अन्य खातेदारान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीया की ओर से प्रतिवादपत्र व बंटवाडा आराजीयात व खातेदारी घोषणा का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जिसमें प्रार्थीया का काउन्टर क्लेम खातेदारी घोषणा का डिकी किया गया। उक्त निर्णय एवं डिग्री के विरूद्ध विपक्षीसगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 122/2015 व 140/2015 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त दोनो अपीले दिनांक 08.12.2021 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार को प्रति प्रेषित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय एवं डिकी के विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। राजस्व मण्डल ने विपक्षी के अधिवक्ता की उपस्थिति में अपील ग्रहण कर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलव किये जाने का आदेश दिनांक 10.03.2022 को पारित किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय के बाद विपक्षी संख्या 1 मथुरा लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी का पूर्व स्थिति रेकार्ड कायम कराने का प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किए जाने पर उपस्थिति हो चुकी है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिलेख तलब किया जा चुका है जिससे अब अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत होने रेकार्ड तलब होने की जानकारी होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 से पूर्णतः प्रभावित होकर अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में बिना किसी आधार व औचित्य के अग्रिम कार्यवाही करना चाहती है, जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय विपक्षी संख्या 1 के पूर्णतः प्रभाव में होकर विपक्षी संख्या 1 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनावश्यक लाभ पहुॅचाना चाहता है जिससे अग्रिम कार्यवाही करने के लिए प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील विचाराधीन होते हुए भी जानबूझकर दुसरे तीसरे दिन की तारीख पेशीयां देकर प्रकरण को विपक्षी संख्या 1 के दबाव व प्रभाव में आकर कार्यवाही करना चाहते है जिससे विपक्षी संख्या 1 व अधीनस्थ सहायक कलेक्टर की दुरभी संधि स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ओर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 074/2021 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन कराते हुए बताया कि राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दोनों अपीले एक साथ सुनकर दिनांक 08.12.2021 को दोनो अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार पुठोली में दिनांक 15.07.2015 प्रकरण संख्या 64/2011 रे.वाद निर्णित, निर्णय व डिकी को निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया। प्रार्थीया पार्वती द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 1008/2022 व 1006/2022 पेश की गई जिसमें दिनांक 10.03.2022 को प्रथम सुनवाई होकर प्रार्थीया की दोनों अपीले दर्ज की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी के प्रकरण संख्या 74/2021 प्रार्थना पत्र पर हो रही कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक या स्थगन नहीं दिया गया है। प्रार्थीया की ओर से अधिवक्तागण की ओर से अधिकार पत्र दिनांक 28.01.2022 को प्रस्तुत कर जवाब हेतु 11.02.2022, 28.02.2022, 10.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022, 30.03.2022, 05.04.2022 जवाब हेतु तारीख पेशीयां नियत की गई। प्रार्थीया/विपक्षीया द्वारा दिनांक 28.02.2022 के पश्चात् प्रत्येक पेशी पर प्रतिनिधि पत्र (ब्रीफ पत्र) पेश कर जवाब हेतु अवसर लेते रहे है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार से मूल पत्रावली जिसके प्रकरण संख्या 64/2011 रे.वाद वाली पत्रावली तलब करने का आदेश हुआ तथा साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 122/2015 अपील व 140/2015 अपील वाली पत्रावलियां तलबी के आदेश हुए परन्तु मुझ विपक्षी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार में धारा 144 सीपीसी बाबत खाते की पूर्व स्थिति रेकार्ड में कायम कराने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2021 को पेश किया जो जांच होकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जिसके प्रकरण संख्या 74/2021 प्रार्थना पत्र नियत किया गया, तथा मूल पत्रावली जो पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर मूल वाद पत्रावली अलग से प्रकरण संख्या 02/2022 रे.वाद पत्र के रुप में नियत किया जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामिल सूचनार्थ हेतु नियत होकर आगामी पेशी दिनांक 28.04.2022 नियत है। इसलिए विपक्षी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो मूल वाद पत्र के साथ नहीं होकर अलग प्रार्थना पत्र है इसलिए राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी इस प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी प्रकार की रोक या स्थगन जारी नहीं किया गया है। प्रार्थीया को न्यायहित में 08 बार जवाब हेतु अवसर दिये गये तथा वर्तमान में भी दिनांक 28.04.2022 तक प्रार्थीया पार्वती ईनाणी को प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी में जवाब हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायहित अवसर दिया गया है तथा प्रार्थीया को जवाब के अवसर देने के पश्चात भी प्रार्थीया द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र चाहे जहां स्थानान्तरण का आदेश फरमाया जावे तो विपक्षी को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थना पत्र काल्पनिक एवं आधारहीन एवं गलत होकर अस्वीकार योग्य है। केवल मात्र प्रार्थीया/विपक्षीया द्वारा प्रकरण निस्तारण में विलम्ब हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं प्रार्थना की गई की जवाब स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उचित समझे आदेश फरमावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात किये बिना विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की ईश्तदुआ की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताय कि प्रार्थीया एक महिला होकर प्रार्थीया के पति किडनी संबंधी बीमारी से ग्रस्त है, व पति की किडनी ट्रांसप्लांट होने से बार–बार चित्तौड़गढ़ से गंगरार प्रकरण में पेशीयो पर जाने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुसरे तीसरे दिन की पेशीयां देने से प्रार्थीया जो कि महिला है को काफी कठिनाईया उत्पन्न हो रही है व अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विपक्षी संख्या 1 के प्रभाव में होने से प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन हो अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होने के बाद भी एक तरफा अग्रिम कार्यवाही करने को अग्रेषित है जिससे प्रार्थीया को प्रकरण में न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। ग्राम पुठोली की वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया की खरीदशुदा कृषि आराजीयात है, लेकिन सहायक कलेक्टर एवं विपक्षी संख्या 1 की मिलाभगती एवं प्रभाव में होने से प्रार्थीया अपनी खरीदशुदा आराजीयात से वंचित हो जायेगी एवं न्याय से भी वंचित हो जावेगी व प्रार्थीया को बार–बार गंगरार आने–जाने में भी परेशानी होने से प्रकरण की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर गंगरार के न्यायालय से चित्तौड़गढ़ न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है, जिससे कि प्रकरण में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के आधार पर उचित निष्पक्ष सुनवाई हो सके। अंत में प्रार्थना कि गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार की पत्रावली संख्या 74/2021 रेवेन्यु प्रार्थना पत्र को चित्तौड़गढ़ न्यायालय में स्थानान्तरण कराने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 074/2021 अनवानी मथुरालाल बनाम पार्वतीदेवी वगैराह अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य तथ्य यह उठाया गया है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिलेख तलब किया जा चुका है जिससे अब अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत होने रेकार्ड तलब होने की जानकारी होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 से पूर्णतः प्रभावित होकर अधीनस्थ न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में बिना किसी आधार व औचित्य के अग्रिम कार्यवाही करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय विपक्षी संख्या 1 के पूर्णतः प्रभाव में होकर विपक्षी संख्या 1 को अनावश्यक लाभ पहुॅचाना चाहता है जिससे अग्रिम कार्यवाही करने के लिए प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील विचाराधीन होते हुए भी जानबूझकर दुसरे तीसरे दिन की तारीख पेशीयां देकर प्रकरण को विपक्षी संख्या 1 के दबाव व प्रभाव में आकर कार्यवाही करना चाहते है जिससे विपक्षी संख्या 1 व अधीनस्थ सहायक कलेक्टर की दुरभी संधि स्पष्ट है, जिससे प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगरार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 074/2021 के अवलोकन से हाजिर होता है कि प्रार्थीया द्वारा मार्फत अधिवक्ता दिनांक 28.01.2022 से न्यायालय में उपस्थित दी गई एवं इसके बाद लगातार न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को अवसर प्रदान किये गये है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार पर प्रार्थीया द्वारा अपने आवेदन में उठाये गये तथ्यों की पुष्ठि नहीं होती है। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं उठाया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की आवश्यकता महसूस होती हा, बल्कि प्रकरण को स्थानान्तरण करने से उसकी वरियता समाप्त होकर प्रकरण में निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ही होगा। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सुमचित प्रत्युत्तर कर न्यायालय से न्याय की गुहार कर सकती है किन्तु प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने बाबत् आवेदन इस न्यायालय प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है ऐसी स्थिति प्रार्थी द्वारा प्रकरण स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा 24 सीपीसी प्रार्थना पत्र कराए जाने हस्तान्तरण सारहीन होने से खारीज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीया को सुमचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते प्रकरण में नियमानुसार विधि–सम्म्त् गुणावगुण पर प्रकरण को निर्णित किया जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.05.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़